

मध्यप्रदेश में सहरिया जनजाति

डॉ. योगेश्वर प्रसाद बघेल

अतिथि ब्याख्याता (प्राध्यापक)

विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान

शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, जिला सक्ती (छ.ग.)

एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में हमारे देश का वर्तमान स्वरूप, भले ही 26 जनवरी 1950 को सामने आया हो लेकिन लोक कल्याण और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की हिफाजत का मंतव्य सदियों से या यूँ कहें कि हमारी जीवन शैली का आरंभ से ही प्रधान हिस्सा रहा है। भारत के संविधान में भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है।

कल्याणकारी राज्य से हमारा तात्पर्य राज्य की जनता का विकास और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। संविधान कि धारा 46 में कहा गया है, कि राज्य समुदाय के कमजोर वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, विशेषतया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के सामान्य हितों का ध्यान व उनके प्रति होने वाले सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जाती है। सामुदायिक विकास स्थानीय प्रबंधन के द्वारा, सभी वर्गों को उन्नत करने के समान अवसर, के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः सामुदायिक विकास पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास की ओर अग्रसर करता है, ताकि वे अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सामाजिक कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकें।

भारतीय समाज एक लम्बे समय से विभिन्न संस्कृतियों तथा प्रजातीय समूहों का संगम स्थल रहा है। समय-समय पर विभिन्न समूहों ने भारत में प्रवेश किया लेकिन कालान्तर में ऐसे सभी समूह भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गये। इसके पश्चात् भी इनमें से अनेक मानव समूह ऐसे थें। जिन्होंने अन्य समूहों की कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को गृहण करने के बाद भी अपनी मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को नष्ट नहीं होने दिया।

साधारणतया ऐसे समूहों को ही हम 'जनजाति, आदिम जाति' अथवा 'वन्यजाति' के नाम से संबोधित करते हैं। अपनी प्राचीन, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं के कारण इनका सामाजिक संगठन, परिवार व्यवस्था, कानून, सरकार और धार्मिक संगठन सभ्य समाजों से बहुत कुछ भिन्न है।

इस दृष्टिकोण से जनजातीय समूह एक प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है तथा अतीत के गर्भ में छिपी हुई, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को समझने के लिए इन समूहों को समझना अत्यधिक आवश्यक है जंगलों, पहाड़ों, निर्जन प्रदेशों अथवा सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले यह समूह वर्तमान को समझने का सबसे अच्छा माध्यम है।

सामान्य रूप से 'जनजाति' का अर्थ एक ऐसे मानव समूह से समझ लिया जाता है। जिसकी संस्कृति और रीति-रिवाज आदिम विशेषताओं से युक्त हो। एक जनजाति वास्तव में उतनी आदिम नहीं होती जितनी कि यह उन व्यक्तियों के द्वारा बना दी गयी है।

जनजातियाँ अपनी संस्कृति से पिछड़ी हुई नहीं होती बल्कि उनकी कठिन आर्थिक और प्राकृतिक दशाएँ ही उन्हें पिछड़ा हुआ बनाये हुये हैं। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है, कि हम जनजाति

को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुये, उन्हें परिभाषित करें। वास्तव में जनजाति एक ऐसा अन्तर्विवाही क्षेत्रीय समूह है। जिसके सदस्य सामान्य भू- भाग, भाशा, संस्कृति, जीवन स्तर, धर्म तथा व्यवसाय के आधार पर समानता की भावना द्वारा संगठित रहते हैं।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और "जिज्ञासा" मानव जीवन की मूल-प्रवृत्ति। प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष की खोज करके मानव जीवन प्रगति की ओर अग्रसर है। जिसका आधार मानव जीवन के प्रारंभ से ही विकास की प्रक्रियाओं के साथ साथ सामाजिक समूह भी स्पष्ट रूप से निर्मित हुए। पहला सामाजिक समूह कहलाये। दूसरे जो इस विकास क्रम में पीछे रह गये पिछड़े जनजातीय समूह कहलाएँ।

आदिवासी जनजाति देश की सबसे बड़ी जनजाति है। समाज के सदस्य के रूप में उसका इतिहास छोटे-छोटे कबीलों से प्रारंभ होता है। और जागरूकता विकास का प्रथम पायदान है इसके अभाव में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज आदिवासी समुदाय गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता के कारण मानवीय सुख-सुविधाओं एवं विकास से कोसो दूर है। इनकी वित्तीय स्थिति संकट, प्राकृतिक आपदाओं एवं सामाजिक झगड़े के बाद अपनी पारंपरिक अर्थव्यवस्था जो कि पूर्णतः वनो पर आधारित थी जो धीरे धीरे इनके समुदाय छिन्न-भिन्न हो जाने से ये दर- दर की ठोकरे खाने को विवश हो गये हैं आज भी वन ही इनके लिए संसार और समाज है। उनका नाता आम लोगों से कम बल्कि वन में रहने वाले पशु पक्षियों से अधिक है। सभी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ऐसे ही अपरिचित लोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, आदिम जाति या जनजाति (ट्रायबल) के अंतर्गत किया गया है। जनजातियों का अध्ययन बहुधा प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्रीय मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों में रिजले, लेके, कगगंसन, सोवर्ट, टेलेट्रस, से सविक, मार्टिन तथा भारतीय समाज सुधारक श्री ए. बी. ठक्कर बापा ने जहां इन व्यक्तियों को आदिवासी कहा है। वही हट्टन ने इन्हे आदिम जाति (प्रीमिटिव ट्राइब्स) नाम से संबोधित किया है समाज शास्त्रीय जी. एस. घुरिये ने तो इन्हे "पिछड़े हिन्दू भी कहा है।

वास्तव में "जनजाति" व्यक्तियों का एक वह समूह है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास या विचरण करता है। और जो किसी आदि पूर्वज को अपना उद्गम मानता हो, तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है। और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से दूर हों।

आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत का अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं बाहुल जनसंख्या वाला राज्य है। भारत के कुल आदिवासी जनसंख्या का 22 प्रतिशत मध्यप्रदेश में निवास करता है। मध्यप्रदेश संशोधन 2000 के तहत 46 प्रकार की जनजातियाँ घोषित की गयी हैं, जिसमें सहरिया जनजाति को 42 वे खण्ड पर रखा गया है।

विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के मापदण्ड :-

भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की तीन जनजातियों को बैगा, भारिया एवं सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है उक्त मान्यता भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर सुनिश्चित की जाती है।

- (अ) कृषि में पूर्ण प्रौद्योगिकी स्तर
- (ब) साक्षरता का न्यूनतम स्तर
- (स) अत्यंत पिछड़े एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास करना
- (द) स्थिर या घटती जनसंख्या

कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर—सहरिया जनजातियों की कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था मानव सभ्यता की वह स्थिति है। जब मानव ने चारागाह युग को पार कर कृषि कार्य को अपनाया और खेती से आजीविका अर्जित की। सहरिया जनजाति की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ कृषि पर ही निर्भर करती है कृषि से वह वर्ष के कुछ महीनों के लिए अपने परिवार के उत्तर पूर्ति हेतु अन्न पैदा करता है जिसमें ज्वार, बाजरा मक्का एवं छोटे अनाज ही शामिल है। सिंचाई एवं आधुनिक तकनीक से बंचित एवं अनभिज्ञ सहरिया कृषक अपनी कृषि आज भी पूर्व प्रौद्योगिकी परम्परागत तौर तरीके से ही करते हैं। उबड़ खाबड़ एवं असिंचित भूमि, साधनों एवं तकनीक का अभाव तथा प्राकृतिक आपदाएं इनकी कृषि को अलाभकारी एवं अनार्थिक कर देती है इस प्रकार सहरिया जनजातियों में पहले की अपेक्षा आज की स्थिति में कृषि, कार्य में रुचि धीरे-धीरे कम होती जा रही है सहरिया जनजातीय समाज वर्तमान में अपनी आजीविका कृषि के अलावा मजदूरी एवं वन सामाग्री का संग्रहण कर विपणन से अर्जित कर रहा है।

साक्षरता का न्यूनतम स्तर—साक्षरता व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देती है और अज्ञान एवं अंधकार से ऊपर उठकर उसे सोचने समझने की समझ प्रदान करती है। शिक्षित व्यक्ति अपने विकास के साथ-साथ समाज के विकास के आयाम को खोजने लगता है। श्योपुर जिले की विषेश पिछड़ी जनजाति सहरिया शिक्षा की रोशनी से काफी दूर है सहरिया जनजातीय समाज की महिलाओं का शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है यह सहरिया जनजाति 5 प्रतिशत से भी कम साक्षरता वाली जनजाति है सरकार द्वारा शासकीय सुविधाओं में निःशुल्क गणवेश, साइकिल, निःशुल्क पुस्तक, छात्रवृत्ति, छात्रावास की सुविधा के उपरांत भी सहरिया जनजातीय समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। इनके बच्चों में भी शिक्षा के प्रति उदासीनता रहती है। नवीन किये गये सर्वेक्षण में इनकी साक्षरता का प्रतिशत 4.31 है।

अत्यंत पिछड़े एवं दूर—दराज के क्षेत्रों में निवास करना—सहरिया जनजाति जंगल पहाड़ों में प्राचीन काल से ही निवास कर रही है। जो सभ्य समाजों से काफी दूर है वे अपने जंगल पहाड़ों की प्रकृति के सुने पन में ही खुश रहते हैं। यहाँ सुविधाओं का हमेशा अभाव पाया जाता है। ये शिक्षा की कमी के कारण ही आधुनिक सभ्यता से काफी दूर होने से इनके सामाजिक विकास में कोई भूमिका अदा नहीं की है। ये सभ्य समाजों की दुनिया से अलग रहना पसंद करते हैं। इनमें पिछड़े पन के कारण शिकार करना, लकड़ी काटना एवं रूढ़िवादिता जादू—टोने एवं जड़ी बूटियों का अधिक प्रयोग किया जाता है।

स्थिर या घटती जनसंख्या—एकांतवास से तात्पर्य सभ्यता की चकाचौंध से दूर जंगलों एवं पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते रहे हैं। सहरिया जनजाति अभी भी जंगलों एवं दुर्गम स्थानों में निवास कर रही है। इनकी आवादी सभ्यता के केन्द्र से दूर एवं एकांत में ही निवास करती है। सहरिया जनजातीय समाज आजकल शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आ रहे हैं। आज भी सहरिया संकोजी एवं शर्मिली आदिवासी जनजाति है और बाध्य समूह के संपर्क से दूर रहना पसंद करती है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सहरिया आबादी बढ़ रही किन्तु इनकी गति तेज नहीं है। इनकी जनसंख्या स्थिर है। ये अपने समूह को छोड़कर बाह्य रहना पसंद नहीं करते हैं। प्रवास इनको पसंद नहीं है, यदि प्रवास करना भी पड़ता है तो समूह में ही करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सहरिया जनजाति शासन द्वारा निर्धारित पिछड़ेपन के मापदण्डों पर पूर्णतः खरी उतरती है। अधिकांशतः ये लोग जादू—टोने व भूत—प्रेतो पर विश्वास करते हैं। तथा कम उम्र में ही ये लोग बुजुर्गों की तरह दिखते हैं। और कई प्रकार की बीमारियों से जैसे—चेचक, हैजा, और मलेरिया, आदि से ग्रसित हो जाते हैं। जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इनकी जनसंख्या दिन—प्रतिदिन घटती जा रही है।

सहरिया जनजातीय समाज प्रारंभ से ही वन्य अंचलों, नदियों की समतल, घाटियों, पर्वत पहाड़ों एवं दुर्गम स्थानों में निवास कर रहे हैं। वे सभ्य समाजों से दूर अपनी अलग संस्कृतिक, सुंदर वन क्षेत्रों में सुकून से जीवन यापन कर रहे हैं।

स्वाधीनता के छःदशकों के बाद भी सहरिया जनजातीय समाज विकास एवं जनकल्याण की रोशनी से काफी दूर है और गरीबी बेरोजगारी अशिक्षा अंधविश्वास जादू-टोना तथा भूत-प्रेतों, जड़ी-बूटी आदि के अभिशाप से संतृप्त है हर साल अरबों रुपये आदिवासियों के नाम पर सरकारी तिजोरी से वह रहे हैं। लोकतंत्र का एक दुर्भाग्य जनक पहलू यह भी है, कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित संगठित और मुखरित लोग अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। आदिवासी के लिये विकास की योजनाओं को तैयार करते समय एक विचारणीय विषय यह भी रहा है, कि इस विशेषपिछड़ी हुई सहरिया जनजाति समाज को आर्थिक लाभ बिना इनके सामाजिक परिवेश को बदलते हुए, किस प्रकार लाभ पहुंचाया जा सकता है।

सहरिया जनजाति के जीवन स्तर को उच्च करने के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना शिक्षा का प्रसार उनकी भाषा में शिक्षा एवं योजनाओं का प्रशिक्षण स्वरोजगार योजना, कृषि विकास, आश्रमशाला, निःशुल्क गणवेश, साईकल प्रदाय, छात्रवृत्ति राहत योजना, जनश्री बीमा योजना, अनु. जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 योजना, वन अधिकार आदि इस प्रकार आदिवासी समाज को प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बहुउद्देशीय आदिम जातीय विकास खण्ड, आदिम जातीय कल्याण विभाग, सहरिया विकास अभिकरण एवं गैर-सरकारी संस्था के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए विशेषप्रयास किये गये हैं। यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ इन तक पहुंच रहा है या नहीं।

प्रस्तुत शोध "सहरिया जनजातीय समाज के विकास में आधुनिकीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" जिला श्योपुर के विषेश संदर्भ में विषय को शोधार्थी द्वारा इसलिए अपनी शोध हेतु चुना गया है क्योंकि सहरिया जनजाति मध्यप्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक है।

आज सहरिया जनजातीय समाज को उदार आत्मीयता से देखने समझने की जरूरत है बाहरी बदलाव को न देखकर उनकी आत्मा में झांकने की आवश्यकता है आज इनमें संस्कृति के बंधे हुए अवशेषों उनकी कला, परंपरा, संस्कृति पृथक, एकांत जीवन-शैली आदि को गहरे रूप में देखने एवं उनकी आदिमता को पहचानने की आवश्यकता है। सामाजिक बदलाव शहरी सभ्यता तथा भौगोलिक साधनों के तीव्र आक्रमण के कारण सहरिया जनजातीय समाज की आदिम पहचान प्रायः लुप्त होती जा रही है। आज सहरिया जनजातियों के पास न तो निजी बोली शेष है और न ही सांस्कृतिक विरासत। उन्हें नहीं मालूम कि वे सहरिया कैसे कहलाए ? इनकी उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई? इस प्रकार एक आदिम जनजाति अपने इतिहास कला एवं संस्कृति को देख नहीं पाये हैं। अब जो कुछ भी सहरियाओं के जीवन अक्षर बचे है वे विगत धुंधली यादें हैं। किसी समय प्रभावशाली शासक के रूप में प्रतिष्ठित सबर सहारा, सौरों एवं सहरिया कहलाने वाली यह जनजाति आज अपने स्मृति गुण सूत्र तक खो चुकी है।

वर्तमान समय में सहरिया जनजाति पूरी तरह से भू-स्वामियों साहूकारों तथा पूंजीपतियों का शिकार है वनोत्पाद जो सहरिया जनजाति के आर्थिक आधार जड़ी-बूटी, कंद-मूल, फल लाख महुआ, कत्था, तेदुपत्ता, पलास, कुसुम एवं वन सामाग्री का एकत्रीकरण जीवन का सबसे बड़ा प्राकृतिक आधार था। अब वह भी ठेकेदार ग्राम वन समिति पूंजीपतियों एवं मालगुजारों के अधिकार क्षेत्र में चला गया है। यह जनजाति अब मात्र मजदूर बन कर रह गई है। पीढ़ियों से इस बोझिल गठरी को ढोते-ढोते सहरिया

जनजाति आलस्य और उदासिनता के शिंकजे में जकड़े गये है यह पूरा सहरिया समाज विगत जाति वैभव के अवमूल्यन का परिणाम किस यातना से भुगत रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सहरिया जनजाति है।

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सरकार की यह निरंतर नीति और प्रयास यह रहा है, कि इनकी जीवन दशा में सुधार लाया जाये और इस पर आधारित प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आदिवासियों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन प्रारंभ तो हुए है परन्तु संतोषप्रद नहीं कहे जा सकता।

इन भोले-भाले जनजातियों ने विकास की उम्मीद में भुख और अभाव को चोली-दामन के रूप में देखा है। उसके साथ रहना सीखा है। जिससे गरीबी की दलदल और गहरी होती जा रही है। फिर भी विसंगतियाँ आधार हीन व अन्याय पूर्ण नीतियों के कारण जल, जंगल और जमीन से महरूम किये जा रहे, जनजातियों के अधिकार छीने जाने का सिलसिला अभी तक थम नहीं पाया है। यह कहना उचित है, कि गरीब भगवान के सहारे रहता है। जो भी नियम कानून बनते है। वह गरीबों पर ही लागू होते है। जाहिर है कि अंतर तो बना रखा है। पर नीयत नहीं बना पा रहे है। जिससे जनजातियाँ हर तरह से प्रताड़ित हो रही है। एक तो वे अशिक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर खेती बाड़ी न के बराबर है। इस जनजातीय समाज के लोगो के पास रहने की समरूप खाने की समस्या आदि आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है।

एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में हमारे देश का वर्तमान स्वरूप, भले ही 26 जनवरी 1950 को सामने आया हो लेकिन लोक कल्याण और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की हिफाजत का मंतव्य सदियों से या यूँ कहें कि हमारी जीवन शैली का आरंभ से ही प्रधान हिस्सा रहा है। भारत के संविधान में भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है।

कल्याणकारी राज्य से हमारा तात्पर्य राज्य की जनता का विकास और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। संविधान कि धारा 46 में कहा गया है, कि राज्य समुदाय के कमजोर वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, विशेषतया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के सामान्य हितों का ध्यान व उनके प्रति होने वाले सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जाती है। सामुदायिक विकास स्थानीय प्रबंधन के द्वारा, सभी वर्गों को उन्नत करने के समान अवसर, के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः सामुदायिक विकास पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास की ओर अग्रसर करता है, ताकि वे अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सामाजिक कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकें।

भारतीय समाज एक लम्बे समय से विभिन्न संस्कृतियों तथा प्रजातीय समूहों का संगम स्थल रहा है। समय-समय पर विभिन्न समूहों ने भारत में प्रवेश किया लेकिन कालान्तर में ऐसे सभी समूह भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गये। इसके पश्चात् भी इनमें से अनेक मानव समूह ऐसे थे। जिन्होंने अन्य समूहों की कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को गृहण करने के बाद भी अपनी मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को नष्ट नहीं होने दिया।

साधारणतया ऐसे समूहों को ही हम 'जनजाति, आदिम जाति' अथवा 'वन्यजाति' के नाम से संबोधित करते है। अपनी प्राचीन, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं के कारण इनका सामाजिक संगठन, परिवार व्यवस्था, कानून, सरकार और धार्मिक संगठन सभ्य समाजों से बहुत कुछ भिन्न है।

इस दृष्टिकोण से जनजातीय समूह एक प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है तथा अतीत के गर्भ में छिपी हुई, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को समझने के लिए इन समूहों को समझना अत्यधिक आवश्यक है

जंगलों, पहाड़ों, निर्जन प्रदेशों अथवा सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले यह समूह वर्तमान को समझने का सबसे अच्छा माध्यम है।

सामान्य रूप से 'जनजाति' का अर्थ एक ऐसे मानव समूह से समझ लिया जाता है। जिसकी संस्कृति और रीति-रिवाज आदिम विशेषताओं से युक्त हो। एक जनजाति वास्तव में उतनी आदिम नहीं होती जितनी कि यह उन व्यक्तियों के द्वारा बना दी गयी है।

जनजातियाँ अपनी संस्कृति से पिछड़ी हुई नहीं होती बल्कि उनकी कठिन आर्थिक और प्राकृतिक दशाएँ ही उन्हें पिछड़ा हुआ बनाये हुये है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है, कि हम जनजाति को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुये, उन्हें परिभाषित करें। वास्तव में जनजाति एक ऐसा अन्तर्विवाही क्षेत्रीय समूह है। जिसके सदस्य सामान्य भू-भाग, भाशा, संस्कृति, जीवन स्तर, धर्म तथा व्यवसाय के आधार पर समानता की भावना द्वारा संगठित रहते है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और "जिज्ञासा" मानव जीवन की मूल-प्रवृत्ति। प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष की खोज करके मानव जीवन प्रगति की ओर अग्रसर है। जिसका आधार मानव जीवन के प्रारंभ से ही विकास की प्रक्रियाओं के साथ साथ सामाजिक समूह भी स्पष्ट रूप से निर्मित हुए। पहला सामाजिक समूह कहलाये। दूसरे जो इस विकास क्रम में पीछे रह गये पिछड़े जनजातीय समूह कहलाएँ।

आदिवासी जनजाति देश की सबसे बड़ी जनजाति है। समाज के सदस्य के रूप में उसका इतिहास छोटे-छोटे कबीलों से प्रारंभ होता है। और जागरूकता विकास का प्रथम पायदान है इसके अभाव में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज आदिवासी समुदाय गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता के कारण मानवीय सुख-सुविधाओं एवं विकास से कोसो दूर है। इनकी वित्तीय स्थिति संकट, प्राकृतिक आपदाओं एवं सामाजिक झगड़े के बाद अपनी पारंपरिक अर्थव्यवस्था जो कि पूर्णतः वनो पर आधारित थी जो धीरे धीरे इनके समुदाय छिन्न-भिन्न हो जाने से ये दर-दर की ठोकरे खाने को विवश हो गये है आज भी वन ही इनके लिए संसार और समाज है। उनका नाता आम लोगों से कम बल्कि वन में रहने वाले पशु पक्षियों से अधिक है। सभी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ऐसे ही अपरिचित लोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, आदिम जाति या जनजाति (ट्रायबल) के अंतर्गत किया गया है। जनजातियों का अध्ययन बहुधा प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्रीय मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों में रिजले, लेके, कगगंसन, सोवर्ट, टेलेट्रस, से सविक, मार्टिन तथा भारतीय समाज सुधारक श्री ए. बी. ठक्कर बापा ने जहां इन व्यक्तियों को आदिवासी कहा है। वही हट्टन ने इन्हे आदिम जाति (प्रीमिटिव ट्राइब्स) नाम से संबोधित किया है समाज शास्त्रीय जी. एस. घुरिये ने तो इन्हे 'पिछड़े हिन्दू भी कहा है।

वास्तव में "जनजाति" व्यक्तियों का एक वह समूह है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास या विचरण करता है। और जो किसी आदि पूर्वज को अपना उद्गम मानता हो, तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है। और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से दूर हों।

आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत का अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं बाहुल जनसंख्या वाला राज्य है। भारत के कुल आदिवासी जनसंख्या का 22 प्रतिशत मध्यप्रदेश में निवास करता है। मध्यप्रदेश संशोधन 2000 के तहत 46 प्रकार की जनजातियाँ घोषित की गयी है, जिसमें सहरिया जनजाति को 42 वे खण्ड पर रखा गया है।

विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के मापदण्ड :-

भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की तीन जनजातियों को बैगा, भारिया एवं सहरिया को विशेषपिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है विशेषपिछड़ी जनजाति को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है उक्त मान्यता भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर सुनिश्चित की जाती है।

- (अ) कृषि में पूर्ण प्रौद्योगिकी स्तर
- (ब) साक्षरता का न्यूनतम स्तर
- (स) अत्यंत पिछड़े एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास करना
- (द) स्थिर या घटती जनसंख्या

कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर—सहरिया जनजातियों की कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था मानव सभ्यता की वह स्थिति है। जब मानव ने चारागाह युग को पार कर कृषि कार्य को अपनाया और खेती से आजीविका अर्जित की। सहरिया जनजाति की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ कृषि पर ही निर्भर करती है कृषि से वह वर्ष के कुछ महीनों के लिए अपने परिवार के उत्तर पूर्ति हेतु अन्न पैदा करता है जिसमें ज्वार, बाजरा मक्का एवं छोटे अनाज ही शामिल है। सिचाई एवं आधुनिक तकनीक से बंचित एवं अनभिज्ञ सहरिया कृषक अपनी कृषि आज भी पूर्व प्रौद्योगिकी परम्परागत तौर तरीके से ही करते हैं। उबड़ खाबड़ एवं असिंचित भूमि, साधनों एवं तकनीक का अभाव तथा प्राकृतिक आपदाएं इनकी कृषि को अलाभकारी एवं अनार्थक कर देती हैं इस प्रकार सहरिया जनजातियों में पहले की अपेक्षा आज की स्थिति में कृषि, कार्य में रुचि धीरे-धीरे कम होती जा रही है सहरिया जनजातीय समाज वर्तमान में अपनी आजीविका कृषि के अलावा मजदूरी एवं वन सामाग्री का संग्रहण कर विपणन से अर्जित कर रहा है।

साक्षरता का न्यूनतम स्तर—साक्षरता व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देती है और अज्ञान एवं अंधकार से ऊपर उठकर उसे सोचने समझने की समझ प्रदान करती है। शिक्षित व्यक्ति अपने विकास के साथ-साथ समाज के विकास के आयाम को खोजने लगता है। श्योपुर जिले की **विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया** शिक्षा की रोशनी से काफी दूर है सहरिया जनजातीय समाज की महिलाओं का शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है यह सहरिया जनजाति 5 प्रतिशत से भी कम साक्षरता वाली जनजाति है सरकार द्वारा शासकीय सुविधाओं में निःशुल्क गणवेश, साइकिल, निःशुल्क पुस्तक, छात्रवृत्ति, छात्रावास की सुविधा के उपरांत भी सहरिया जनजातीय समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। इनके बच्चों में भी शिक्षा के प्रति उदासीनता रहती है। नवीन किये गये सर्वेक्षण में इनकी साक्षरता का प्रतिशत 4.31 है।

अत्यंत पिछड़े एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास करना—सहरिया जनजाति जंगल पहाड़ों में प्राचीन काल से ही निवास कर रही है। जो सभ्य समाजों से काफी दूर है वे अपने जंगल पहाड़ों की प्रकृति के सून पन में ही खुश रहते हैं। यहाँ सुविधाओं का हमेशा अभाव पाया जाता है। ये शिक्षा की कमी के कारण ही आधुनिक सभ्यता से काफी दूर होने से इनके सामाजिक विकास में कोई भूमिका अदा नहीं की है। ये सभ्य समाजों की दुनिया से अलग रहना पसंद करते हैं। इनमें पिछड़े पन के कारण शिकार करना, लकड़ी काटना एवं रूढ़िवादिता जादू-टोने एवं जड़ी बूटियों का अधिक प्रयोग किया जाता है।

स्थिर या घटती जनसंख्या—एकांतवास से तात्पर्य सभ्यता की चकाचौंध से दूर जंगलों एवं पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते रहे हैं। सहरिया जनजाति अभी भी जंगलों एवं दुर्गम स्थानों में निवास कर रही है। इनकी आवादी सभ्यता के केन्द्र से दूर एवं एकांत में ही निवास करती है। सहरिया जनजातीय समाज आजकल शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आ रहे हैं। आज भी सहरिया संकोजी एवं शर्मीली आदिवासी जनजाति है और बाध्य समूह के संपर्क से दूर रहना पसंद करती है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सहरिया आबादी बढ़ रही किन्तु इनकी गति तेज नहीं है। इनकी जनसंख्या स्थिर है। ये अपने समूह को छोड़कर बाह्य रहना पसंद नहीं करते हैं। प्रवास इनको पसंद नहीं है, यदि प्रवास करना भी पड़ता है तो समूह में ही करते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सहरिया जनजाति शासन द्वारा निर्धारित पिछड़ेपन के मापदण्डों पर पूर्णतः खरी उतरती है। अधिकांशतः ये लोग जादू-टोने व भूत-प्रेतो पर विश्वास करते हैं। तथा कम उम्र में ही ये लोग बुजुर्गों की तरह दिखते हैं। और कई प्रकार की बीमारियों से जैसे-चेचक, हैजा, और मलेरिया, आदि से ग्रसित हो जाते हैं। जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इनकी जनसंख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है।

सहरिया जनजातीय समाज प्रारंभ से ही वन्य अंचलों, नदियों की समतल, घाटियों, पर्वत पहाड़ों एवं दुर्गम स्थानों में निवास कर रहे हैं। वे सभ्य समाजों से दूर अपनी अलग संस्कृतिक, सुंदर वन क्षेत्रों में सुकून से जीवन यापन कर रहे हैं।

स्वाधीनता के छःदशकों के बाद भी सहरिया जनजातीय समाज विकास एवं जनकल्याण की रोशनी से काफी दूर है और गरीबी बेरोजगारी अशिक्षा अंधविश्वास जादू-टोना तथा भूत-प्रेतों, जड़ी-बूटी आदि के अभिशाप से संतृप्त है हर साल अरबों रूपयें आदिवासियों के नाम पर सरकारी तिजोरी से वह रहे हैं। लोकतंत्र का एक दुर्भाग्य जनक पहलू यह भी है, कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित संगठित और मुखरित लोग अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। आदिवासी के लिये विकास की योजनाओं को तैयार करते समय एक विचारणीय विषय यह भी रहा है, कि इस विशेषपिछड़ी हुई सहरिया जनजाति समाज को आर्थिक लाभ बिना इनके सामाजिक परिवेश को बदलते हुए, किस प्रकार लाभ पहुंचाया जा सकता है।

सहरिया जनजाति के जीवन स्तर को उच्च करने के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना शिक्षा का प्रसार उनकी भाषा में शिक्षा एवं योजनाओं का प्रशिक्षण स्वरोजगार योजना, कृषि विकास, आश्रमशाला, निःशुल्क गणवेश, साईकल प्रदाय, छात्रवृत्ति राहत योजना, जनश्री बीमा योजना, अनु. जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 योजना, वन अधिकार आदि इस प्रकार आदिवासी समाज को प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बहुउद्देशीय आदिम जातीय विकास खण्ड, आदिम जातीय कल्याण विभाग, सहरिया विकास अभिकरण एवं गैर-सरकारी संस्था के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए विशेषप्रयास किये गये हैं। यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ इन तक पहुंच रहा है या नहीं।

प्रस्तुत शोध "सहरिया जनजातीय समाज के विकास में आधुनिकीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" जिला श्योपुर के विशेष संदर्भ में विषय को शोधार्थी द्वारा इसलिए अपनी शोध हेतु चुना गया है क्योंकि सहरिया जनजाति मध्यप्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक है।

आज सहरिया जनजातीय समाज को उदार आत्मीयता से देखने समझने की जरूरत है बाहरी बदलाव को न देखकर उनकी आत्मा में झांकने की आवश्यकता है आज इनमें संस्कृति के बंधे हुए अवशेषों उनकी कला, परंपरा, संस्कृति पृथक, एकांत जीवन-शैली आदि को गहरे रूप में देखने एवं उनकी आदिमता को पहचानने की आवश्यकता है। सामाजिक बदलाव शहरी सभ्यता तथा भौगोलिक साधनों के तीव्र आक्रमण के कारण सहरिया जनजातीय समाज की आदिम पहचान प्रायः लुप्त होती जा रही है। आज सहरिया जनजातियों के पास न तो निजी बोली शेष है और न ही सांस्कृतिक विरासत। उन्हें नहीं मालूम कि वे सहरिया कैसे कहलाए ? इनकी उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई? इस प्रकार एक आदिम जनजाति अपने इतिहास कला एवं संस्कृति को देख नहीं पाये हैं। अब जो कुछ भी सहरियाओं के जीवन अक्षर बचे हैं वे विगत धुंधली यादें हैं। किसी समय

प्रभावशाली शासक के रूप में प्रतिष्ठित **सबर सहरा, सौरों एवं सहरिया** कहलाने वाली यह जनजाति आज अपने स्मृति गुण सूत्र तक खो चुकी है।

वर्तमान समय में सहरिया जनजाति पूरी तरह से भू-स्वामियों साहूकारों तथा पूंजीपतियों का शिकार है वनोत्पाद जो सहरिया जनजाति के आर्थिक आधार **जड़ी-बूटी, कंद-मूल, फल लाख महुंआ, कत्था, तेदुंपत्ता, पलास, कुसुम** एवं वन सामाग्री का एकत्रीकरण जीवन का सबसे बड़ा प्राकृतिक आधार था। अब वह भी ठेकेदार ग्राम वन समिति पूंजीपतियों एवं मालगुजारों के अधिकार क्षेत्र में चला गया है। यह जनजाति अब मात्र मजदूर बन कर रह गई है। पीढ़ियों से इस बोझिल गठरी को ढोते-ढोते सहरिया जनजाति आलस्य और उदासिनता के शिंकजे में जकड़े गये हैं यह पूरा सहरिया समाज विगत जाति वैभव के अवमूल्यन का परिणाम किस यातना से भुगत रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण **सहरिया जनजाति** है।

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सरकार की यह निरंतर नीति और प्रयास यह रहा है, कि इनकी जीवन दशा में सुधार लाया जाये और इस पर आधारित प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आदिवासियों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन प्रारंभ तो हुए हैं परन्तु संतोषप्रद नहीं कहे जा सकता।

इन भोले-भाले जनजातियों ने विकास की उम्मीद में भुख और अभाव को चोली-दामन के रूप में देखा है। उसके साथ रहना सीखा है। जिससे गरीबी की दलदल और गहरी होती जा रही है। फिर भी विसंगतियाँ आधार हीन व अन्याय पूर्ण नीतियों के कारण जल, जंगल और जमीन से महरूम किये जा रहे, जनजातियों के अधिकार छीने जाने का सिलसिला अभी तक थम नहीं पाया है। यह कहना उचित है, कि गरीब भगवान के सहारे रहता है। जो भी नियम कानून बनते हैं। वह गरीबों पर ही लागू होते हैं। जाहिर है कि अंतर तो बना रखा है। पर नीयत नहीं बना पा रहे हैं। जिससे जनजातियाँ हर तरह से प्रताड़ित हो रही हैं। एक तो वे अशिक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर खेती बाड़ी न के बराबर हैं। इस जनजातीय समाज के लोगो के पास रहने की समरूप खाने की समस्या आदि आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है।

संदर्भ ग्रंथ

1. मुखर्जी रविन्द्रनाथ—सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखानई दिल्ली विवेकप्रकाशन (1995)
2. शर्मा, राजीव लोचन—जनजातीय जीवन और संस्कृति कानपुर किताब घर (1951)
3. हिन्दुस्तान, पत्रिका
4. नई दुनिया, देश वन्धु
5. दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया
6. राज एक्स्प्रेस, द हिन्दु
7. नव भारत, जनसत्ता
8. दैनिक भास्कर, आचरण,
9. टाइम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली) मई—जून 2015
10. ग्रामीण विकास समीक्षा— हैदराबाद प्रकाशन